

मूल वाद में डिब्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

वनाम

मुझ

हरिमानन्द आदि

दावा बाबत :- 88 RFA 14

मुकदमा नम्बर :- 304/2021

निर्णय दिनांक :- 27-10-2021

वादी की ओर से वकील विनीत पुनिष्ठा की व प्रतिवादी सं० 1, 11, 12 की ओर से वकील उमेश मोहसरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27-10-2021

को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रोही मोजा अनुपग्रह के खाता सं० 307/353 के खासरा सं० 714 की 2635 है वरानी खातेदारी लक्षि मुमि प्रतिवादी सं० 2 खासरा के नाम से व रोही मोहसरा के खाता सं० 713/116 के खासरा सं० 130/1 की 2648 है वरानी खातेदारी प्रतिवादी सं० 1 हरिमानन्द व प्रतिवादी सं० 2 खासरा के नाम से व रोही अनुपग्रह के खाता सं० 393/पु6 के खासरा सं० 695 की 1.012 है, खासरा सं० 712 की 3.098 है वरानी खातेदारी प्रतिवादी सं० 1 हरिमानन्द उर्फ हरिमानन्द के नाम राजस्व रिजार्ड में पुज है व से प्रतिवादी सं० 1 हरिमानन्द उर्फ हरिमानन्द व प्रतिवादी सं० 2 खासरा के नाम लक्षमजान विभा जालर वादी व प्रतिवादी सं० 3 के वरिष्सा वरार के खातेदार लक्षमजान वादित किए जाते हैं मुमि प्रतिवादी सं० 2 व पता 13 ने अपना सम्पूर्ण हक व दिखसा वादी मुकेश व प्रतिवादी सं० 3 अशोक कुमार के पक्ष में लागू कर मुन्य कर लिया है इसलिए त्याग विभा जेप दिखस पर पंजीयन विभा को देय पंजीयन मुल्य असा करने व यदि लक्षि मुमि बैंक के रहने होती वरानुम होने के उपरान्त ही राजस्व रिजार्ड में अमल परामद विभा जावे राजानामा को डिब्री का काज 66) पावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिब्री आज दिनांक 27-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

(निबि रजार्ड)

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) वरानुम प्र.गा. क संग अ.-2021

भादरा, जिला हनुमानगढ़

20162121